संख्या- 22 /2017/2962/69-1-2016-11(अ0सं0-37)/2016

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 10 जनवरी, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4504/76/एक/एबीएमबीवीवाई/2015-16, दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना" योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से जनपद-कानपुर नगर की नगर निगम, कानपुर की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण आदि कार्यों से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 07 परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-501/2016/1156/69-1-16-11(अ0सं0-37)/2016, दिनांक 13 जुलाई, 2016 द्वारा रू0 1071.84 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात रू0 535.92 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में जारी की गयी थी। अतएव चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट से उक्त परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि रू0 535.92 लाख (रूपये पांच करोड़ पैंतीस लाख बानबे हजार मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।

-2/

http://shasanadesh.up.nic.in

4. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिलास्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।

8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।

10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।

11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा विशेष सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0 प्र0 शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, वाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

15. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा।

16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2017 तक व्यय हो सके।

-3/

http://shasanadesh.up.nic.in

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-03-मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग तथा नाली आदि का निर्माण-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-22 /2017/2962(1)/69-1-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, कानपुर नगर।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,
(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 22 /2017/2962/69-1-2016-11(अ0सं0-37)/2016 दिनांक 10 जनवरी, 2017 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/ न0पं0 का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण	परियोजना की कुल लागत	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत
1	2	3	4	5	6
1.	कानपुर नगर	न0नि0 कानपुर	मो0 शिवपुर निकट छपेड़ा पुलिया पार्ट-सी में अनूप अस्थाना के मकान से गुरूकुल एजुकेशन सेन्टर व अन्य सहायक गलियों में, मनोज श्रीवास्तव के मकान से उमेश वर्मा के मकान तक व अन्य सहायक गलियों में, अयोध्या प्रसाद शर्मा के मकान से अशोक मिश्रा के मकान तक, बाम्बा रोड से धर्म प्रकाश शर्मा के मकान तक एवं भारती मिश्रा के मकान से शिव मन्दिर तक व अन्य सहायक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	81.03	40.515
2.	तदैव	तदैव	मो0 मिर्जापुर पार्ट-ओ में देशराज पाल के मकान से पंकज शुक्ला के मकान होते हुए श्रवण वर्मा के मकान तक, सत्यप्रकाश तिवारी के मकान से मोहित शुक्ला के मकान तक, सत्यप्रकाश तिवारी के मकान से रमेश यादव के मकान होते हुए रामचन्द्र चौधरी के मकान तक, प्रेम कुमार के मकान से मान सिंह के मकान तक, दुर्गा प्रसाद दुबे के मकान से राकेश शर्मा के मकान होते हुए रामजी दुबे के मकान तक, मुंशी लाल शर्मा के मकान से राम औतार मिश्रा के मकान होते हुए आशा श्रीवास्तव के मकान तक, राम गोपाल पाल के मकान से राजेश शुक्ला के मकान होते हुए एस.एस.पाल के मकान तक, राजेन्द्र त्रिपाठी के मकान से महेश पाण्डेय के मकान तक, राम सुरेश दुबे के मकान से रामू दिवाकर के मकान तक, राजेन्द्र त्रिपाठी के मकान से राम प्रकाश कुशवाहा के मकान तक, रामा उपाध्याय के मकान से फौजी के मकान तक व अन्य सहायक गलियों में, राम सुरेश दुबे के मकान से मोहित यादव के मकान तक, शिव प्रताप सिंह के मकान से इन्द्र प्रताप राठौर के मकान तक, राम गोपाल पाल के मकान से सुखवीर सिंह के मकान तक, बाबू लाल कुशवाहा के मकान से राकेश कुमार द्विवेदी के मकान तक, दुर्गा प्रसाद के मकान से रवि सिंह के मकान तक, डा0 डी0सी0 कटियार के मकान से डी0पी0 मिश्रा के मकान होते हुए शिव गोविन्द के मकान तक एवं अनिल कुमार के मकान से राजकुमार पाल के मकान होते हुए गया प्रसाद के मकान तक व अन्य सहायक	293.94	146.97

-2/

http://shasanadesh.up.nic.in

			गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।		
3.	तदैव	तदैव	मो0 सुखरू पुरवा पार्ट-ए में पंचमुखी हनुमान मंदिर से एकलव्य स्कूल क्रांसिग/रज्जन हाउस तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	39.17	19.585
4.	तदैव	तदैव	मो0 कश्यप नगर पार्ट-ई में सरवन कश्यप के मकान से प्रभु दयाल यादव के मकान तक व अन्य सहायक गलियों में, विजय सिंह यादव के मकान से उमेश द्विवेदी के मकान तक, विजय सिंह यादव के मकान से शिव नरायण सिंह यादव के मकान तक, अरूण गौतम के मकान से गुल्लू यादव के मकान तक व अन्य सहायक गलियों में, इन्द्रजीत सिंह यादव के मकान से विनोद कुशवाहा के मकान तक व अन्य सहायक गलियों में, एम0के0 यादव के मकान से उमेश द्विवेदी के मकान तक, सूबेदार श्याम सुन्दर के मकान से कमलेश पाल के मकान तक, अरविन्द सिंह गौड़ के मकान से अजय कुमार यादव के मकान तक व अन्य सहायक गलियों में, शिवाकान्त यादव के मकान से आर0के0 कटियार के मकान तक व अन्य सहायक गलियों में, अहिवरन सिंह यादव के मकान से शैलजा भदौरिया के मकान तक व अन्य सहायक गलियों में, राजकुमार वर्मा के मकान से यतेन्द्र स्वरूप दीक्षित के मकान तक, प्रिन्स जनरल स्टोर से गजेन्द्र सिंह यादव के मकान तक एवं सोसाइटी रोड से बाम्बा रोड नाला तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	379.00	189 .50
5.	तदैव	तदैव	मो0 खलासी लाइन में एस0पी0 बन्द के मकान से जय नरायण के मकान तक व अन्य सहायक गलियों में, जमुना पेड़े वाले के मकान से सुरेश मिश्रा के मकान तक, जय प्रकाश के मकान से मंगल पाण्डेय के मकान तक व अन्य सहायक गलियों में, चन्द्रिका प्रसाद सोनकर के मकान से बाबूराम के मकान तक व अन्य सहायक गलियों में, राजकली के मकान से दीपू कोरी के मकान तक, सनी रावत के मकान से रामकृष्ण गुप्ता के मकान तक, राम किशन के मकान से दशरथ के मकान होते हुए हरी के मकान तक, हरी के मकान से फरीद के मकान तक व अन्य सहायक गलियों में, हरी के मकान से अशरफ के मकान होते हुए पार्क तक व अन्य सहायक गलियों में एवं हरीश चन्द्र श्रीवास्तव के मकान से मर्दन हेयर ड्रेसर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	53.37	26.685

-3/

6.	तदैव	तदैव	मो0 मकड़ीखेड़ा पार्ट-आई में राम औतार के घार से मुख्तार अहमद के घर तक, मुख्तार अहमद के मकान से आशीष के मकान तक, जयबीर के मकान से कनौजिया के मकान तक, पैरलल गली से सी तक, कनौजिया के मकान से बाल्मीकि के मकान तक एवं अन्य सहायक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	44.64	22.32
7.	तदैव	तदैव	मो0 मकड़ीखेड़ा पार्ट-जे में राम पाल के मकान से कैलाश बाबू के मकान तक, भोला के मकान से मौर्या के मकान तक, कैलाश बाबू के मकान से मौर्या के मकान तक, कैलाश बाबू के मकान से बहादुर के मकान तक, इन्द्रमणि तिवारी के मकान से मोतीलाल त्रिपाठी के मकान तक, प्रजापति के मकान से दीपक जनरल स्टोर तक, नीलेश के मकान से आशीष मिश्रा के मकान तक, बहादुर के मकान से राजेन्द्र के मकान तक, शम्भू के मकान से सरदार जी के मकान तक, गिरिजा शंकर के मकान से लक्ष्मी के मकान तक यू0पी0 टेन्ट हाउस की गली में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	180.69	90.345
योग				1071.84	535.92

(रूपये पॉच करोड़ पैंतीस लाख बानवे हजार मात्र)।

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

http/shasnadesh.up.nic.in